प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना – किमोई मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण – पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– किमोई
तहसील :– धनोल्टी, जिला टिहरी गढवाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के **मसराना – किमोई मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **3.780 है0** आरक्षित वन भूमि **1.1025 है0** सिविल सोयम भूमि **0.420 है0** वन्य जीव विहार अर्थात् कुल **5.3025 है0** वनभूमि का लो0नि0वि0, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **किमोई** द्वारा दिनांक 05-06-16 को सम्पन्न उपरोक्त ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को **मसराना – किमोई मोटर मार्ग** निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0 [signature]
दि0 5/6/16
वि0ख0 जौनपुर टिहरी गढवाल

Form -4 Bachan P.W.D Thatyur Masrana - Kimoi Motor Road (Rakesh)

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 05/06/16 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत किमोई

क0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	राया सिंह असवाल पूर्व प्रधान	R.S.Aswal
2	सतोसिंह	सतोसिंह
3	जगदीशसिंह	जगदीशसिंह
4	जगतसिंह	जगतसिंह
5	सुरतसिंह	[illegible]
6	दिवानसिंह	दिवानसिंह
7	कुन्दनसिंह	[illegible]
8	चन्दरसिंह	चन्द्रसिंह
9	जबरसिंह	जबरसिंह
10	नरेन्द्र सिंह	नरेन्द्रसिंह
11	बलवीर सिंह सजवाण	[illegible]
12	मंगल सिंह	मंसिंह
13	मंगलसिंह	
14	मिजानसिंह	मिजानसिंह
15	बलदेव सिंह	बलदेवसिंह
16	रायचन्द	Rachand
17	प्रताप	[illegible]

(18) बलबीर चौहान — B.Shauhan
(19) गजे सिंह — गजेसिंह
(20) राजेन्द्र — [illegible]
(21) दीपक — [illegible]
(22) सतवीर — [illegible]
(22) अनिल — [illegible]
(23) भरतसिंह — Baru
(24) Ramesh — Ramesh
(25) M.S. Aswal
(26) R.Singh
(27) [illegible]
(28) [illegible]
(29) [illegible]
(27) जीतसिंह

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना – किमोई मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोल्टी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण –पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति धनोल्टी

तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मसराना – किमोई मोटर मार्ग** का निर्माण (**3.780 है0** आरक्षित वनभूमि **1.1025 है0**, सिविल सोयम भूमि **0.420 है0** वन्य जीव विहार कुल भूमि **4.3025 है0**) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोल्टी) के दिनांक 03-08-16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~लक्ष्मीराज चौहान~~ वी0के0 तिवारी, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1.	श्री ~~लक्ष्मीराज चौहान~~ वी0के0 तिवारी, उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री नीरज कुमार शर्मा, उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3.	श्री शूर सिह नेगी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4.	श्री ~~कुंवर सिह पंवार~~ जयपालसिंह, बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य जयपालसिंह

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत **मसराना – किमोई मोटर मार्ग** का निर्माण परियोजना हेतु **5.3025 है0** वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

कमशः.........2...........

जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मसराना – किमोई मोटर मार्ग** का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु **5.3025 है0** वनभूमि लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी गढवाल।

क्षेत्र पंचायत सदस्य काण्डाजाखें
वि0ख0 जौनपुर टिहरी गढ़वाल
दि0.........

सहायक समाज
कल्याण अधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी, वन प्रभाग

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना – किमोई मोटर मार्ग (लम्बाई 8 कि0मी0)

उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के **मसराना – किमोई मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **5.3025 है0** सिविल सोयम वनभूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एस0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड (टि0ग0)	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड (टि0ग0)	तहसीलदार धनोल्टी टिहरी गढवाल	उपजिलाधिकारी धनोल्टी टिहरी गढवाल

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत मसराना – किमोई मोटर मार्ग (लम्बाई 8 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के **मसराना – किमोई मोटर मार्ग** के (लम्बाई 8.00 कि0मी0) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (सिविल सोयम भूमि **1.1025 है0**, आरक्षित वनभूमि **3.780 है0**, व वन्य जीव विहार **0.420 है0**, कुल प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल **5.3025 है0**) के गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं0 11–9/98–एफ0सी0 दि0 05.02.13 के द्वारा रेखाकर (Liner) प्रयोजना यथा – सडक निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Premitive Tribal Group) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Premitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 ,
थत्यूड, (टिहरी गढवाल)।

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

FORME-4

(For Liner Projects)

Government of Uttrakhand

Office of the District Collector New Tehri

No.. 66/XXIV-05(14-15) टी०, नई टिहरी   Date..12-6-17

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of india's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Fights) Act, 2006 (FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 5.3025 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **E.E Try Division P.W.D Thatyur For** of Masrana-Kimoi Motor Road Scheme (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls, within jurisdiction of Kimoi village (s) in Dhanolti Tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 5.3025 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level committee are enclosed as annexure....to annexure.....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it;

(C) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Eucl: As above

(सोनिका)

जिला अधिकारी

टिहरी गढ़वाल

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL UTTRAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule Tribes & Other Traditional Fores Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA 2006 wad held under the chairmanship of **Smt. Sonika** I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in Which the applicant claiming rights in Jaunpur Block area measuring **5.3025** Hectare for the costruction of **Masrana - Kimoi Motor Road** in Tehsil Dhanolty of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for diverstion for the said purpose.

Place - Tehri

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

District Collector Cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

It is further certified that-Minutes of Meeting of Masrana-Kimoi Motor Road Scheme regarding FRA is as following .

Sr.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 5.3025 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee(s), sub Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Fore st Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Ngar Palika Parishad have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid Water supply is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य,
टिहरी गढ़वाल।
(बबीता नेगी)
जिला पंचायत सदस्या
वार्ड नं. 12, ...

समाज कल्याण अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल